**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3541**
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

## शी-बॉक्स पोर्टल

3541**. श्री विजय बघेलः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
ख. क्या गोपनीयता के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय उपलब्ध हैं;
ग. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
घ. क्या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता या परामर्श प्रदान करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है; और
ङ. यदि हां, तो उक्त राज्य का, विशेष रूप से दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2024 को लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल शुरु किया, जिसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को विधिवत शामिल किया गया है। इस पोर्टल को उपयोगकर्ता के

अनुकूल और आसानी से सुलभ प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने नियमित रूप से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पत्राचार किया है और जन जागरूकता के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया है।

शी-बॉक्स के विषय में समझ और उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों के लिए सक्रिय रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है, जिसमें राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), जिला और उप-जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और अन्य क्षेत्रीय कर्मी शामिल हैं। प्रशिक्षण में, कार्मिकों को पोर्टल पर सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों को जोड़ने में सहायता करने के लिए सुग्राही बनाना और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करना, शामिल है। क्षेत्रीय भाषाओं में शी-बॉक्स उपलब्ध कराना परियोजना के डिजाइन का हिस्सा है ताकि इसे देश भर की महिलाओं के लिए सुलभ बनाया जा सके।

(ख) और (ग): एसएच अधिनियम, 2013 की धारा 16 और 17 में शिकायतों और जांच कार्रवाई की गोपनीयता को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें शिकायत के विषय, पीड़ित महिला, प्रतिवादी, गवाहों की पहचान, सुलह और जांच कार्रवाई, सिफारिशों या अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों के विवरणों को जनता, प्रेस या मीडिया के सामने प्रकट करने पर प्रतिबंध है। ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रावधान का किसी प्रकार भी उल्लंघन, प्रभावी सेवा नियमों या जहां ऐसे कोई नियम मौजूद नहीं हैं, वहां निर्धारित विनियमों के अनुसार दंड का कारण बनता है। यही प्रावधान शी-बॉक्स पोर्टल पर उपलब्ध डेटा और सूचना के मामले में भी लागू होते हैं।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करने वाली किसी भी महिला या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत का विवरण पूरी तरह से गोपनीय रहता है और केवल आंतरिक समिति (आईसी) या स्थानीय समिति (एलसी) जैसा भी मामला

हो, के अध्यक्ष को ही दिखाई देता है, इस प्रकार महिलाओं को किसी प्रकार के भय या प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्राप्त होता है। जब कोई शिकायत 'शी-बॉक्स' में दर्ज हो जाती है तो उसे सीधे संबंधित आईसी/एलसी को जैसा भी मामला हो, भेज दिया जाता है जिसके पास मामले में कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार होता है।

(घ) से (ड.): आसान नेविगेशन की सुविधा हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगकर्ता नियमावली बनाई गई हैं और मार्गदर्शन के लिए पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर मंत्रालय द्वारा जारी एसएच अधिनियम, 2013 की पुस्तिका उपलब्ध है जिससे व्यापक उपयोग के लिए व्यावहारिक और सुलभ जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह, कर्मियों हेतु प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों के समर्थन के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी पोर्टल पर उपलब्ध है। एसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और शी-बॉक्स पोर्टल की कार्यक्षमताओं को स्पष्ट करने के लिए, आम जनता के लिए पोर्टल में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भी उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के बीच पहुंच और समझ को बढ़ाना है।

तकनीकी समस्याओं का सामना करने वाले या पोर्टल से संबंधित कोई प्रश्न पूछने वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए, तकनीकी सहायता टीम और पोर्टल प्रशासन अधिकारी का संपर्क विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

इसके अलावा, देश भर में स्थापित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था है। कोई उपयोगकर्ता किसी प्रकार की सहायता के लिए दुर्ग संसदीय क्षेत्र में स्थित ओएससी सहित इन केंद्रों से भी संपर्क कर सकता है।

*****